

### दिशा निर्देश

1. आवेदक अजमेर संभाग जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक जिले शामिल हैं, का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक वैष्णव समाज बावन गौत्र का ही होना चाहिए।
3. चतुर्थ श्रेणी से उपर के राज्य/निगम /बोर्ड/केन्द्र के कर्मचारियों के आश्रित आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
4. बी.पी.एल., विकलांग, ग्रामीण क्षेत्र (तहसील स्तर से नीचे) एवं महिला आवेदको को प्रत्येक श्रेणी के लिये 5 प्रतिशत बोनस अंक देय होंगे। बोनस अंको की अधिकतम सीमा का निर्धारण समिती अपने विवेक से करेगी।
5. विधवायें जिनकी संताने 10 वीं से उपर की कक्षा में अध्ययनरत हैं एवं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वे अपनी संतानों के नाम से अलग-अलग आवेदनपत्र भरें। जिन विधवाओं की संताने 10 वीं या इससे नीचे की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं वे स्वयं आवेदनपत्र भरें। निसंतान विधवायें आवेदनपत्र भरने के लिये पात्र नहीं होंगी। लेकिन ऐसी निसंतान विधवायें जो 10 वीं / 12वीं एवं इससे उच्च स्तर की पढाई करने में सक्षम हैं वे आवेदन कर सकती हैं। विधवा श्रेणी के आवेदकों के लिये न्यूनतम अंको की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।
6. 10 वीं / 12वीं एवं स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के आवेदको, को शैक्षणिक सहायता मेरिट के आधार पर दी जावेगी। 10 वीं/12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर आवेदको के लिए क्रमशः 70%; 65%; 60% एवं 60% अंक होने अनिवार्य होंगे।
7. आवेदक 10 वीं व उससे उपर की कक्षाओं का विवरण शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में देंगे व 10 वीं व उससे उपर की सभी कक्षाओं की अंकतालिका की फोटोप्रति लगायेंगे। इसके अलावा राशनकार्ड, मूलनिवास प्रमाणपत्र, नवीनतम बिजली का बिल, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या तहसील कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र एवं बोनस अंक प्राप्त करने के लिये आवश्यक दस्तावेजों की सिर्फ फोटोप्रति संलग्न करें। विधवा श्रेणी के आवेदक सिर्फ राशन कार्ड एवं पति के मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संलग्न करें।
8. वर्ष 2013-14 में अध्ययनरत कक्षा की फीस की रसीद या अध्ययनरत होने के साक्ष्य में कोई भी दस्तावेज की फोटोप्रति संलग्न करें।
9. आवेदन पत्र के साथ किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति नहीं लगावें।
10. जिन छात्राओं की स्कूल / कॉलेज व कोचिंग / प्रशिक्षण संस्थान अपने निवास स्थान से काफी दूर हैं व आने-जाने की परेशानी की वजह से उनके अध्ययन में बाधा पहुँच रही है ऐसी छात्रायें अपनी समस्या व शैक्षणिक स्थिति का विस्तार से उल्लेख करते हुये अलग से सादे कागज पर आवेदन करें। ऐसी छात्राओं के लिये न्यूनतम अंक व आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। समिती इनकी इस समस्या के समाधान पर विचार करेगी।
11. आवेदन "संयोजक श्री किशनलाल वैष्णव C/O श्री शिव प्रसाद वैष्णव, सी-447, पंचशील नगर, माकड़वाली रोड़, अजमेर (राजस्थान)" को डाक /कोरियर द्वारा भिजवाये जा सकते हैं। आवेदन में कोई सूचना गलत पाई जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन दिनांक **10.04.2014** तक डाक/ कोरियर द्वारा उपरोक्त पते पर पहुँच जाने चाहिए। दिनांक **10.04.2014** के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिये किया जा रहा है ताकि आवेदक वर्ष 2013 में दी गई अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति संलग्न कर सकें।
12. पुरुष्कार वितरण वर्गवार, कक्षावार, का निर्धारण समिती अपने विवेक से करेगी। आवेदक चाही गई सहायता के लिये दो विकल्प आवेदन पत्र की कालम संख्या - 14 में भरें व स्पष्ट करें कि चाही गई सहायता उनके उच्च अध्ययन में किस प्रकार सहायक होगी। इसमें समिती का निर्णय अंतिम होगा।
13. निर्धन प्रतिभावान अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की पढाई लिखाई के संबंध में उनकी सहायता किस प्रकार की जा सकती हैं, इसके लिए सुझाव आमंत्रित हैं। अतः अपने सुझाव अवश्य देने की कृपा करें। सबसे श्रेष्ठ सुझाव देने वाले को 1100/- रुपये नगद पुरुष्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। सुझाव अलग पेज पर भी दिये जा सकते हैं।
14. उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी समाज बंधुओं से मार्गदर्शन/समर्थन/सुझाव एवं आर्थिक सहयोग आमंत्रित/अपेक्षित हैं।
15. विधवा श्रेणी के आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी आवेदक आर्थिक स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न करें।
16. आर्थिक स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट समाज के किन्ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित होनी चाहिये जिनमें से एक व्यक्ति समाज की किसी समिती या संस्था का पदाधिकारी हो व दूसरा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो।
17. किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये संयोजक से सम्पर्क करें।